

सत्यमेव जयते.

पीने का पानी

डेस्क महिला सहायता
हिं आपकी क्या सहायता तकता

कृपया आगन्तुक का स्वागत है

मोबाइल नम्बर :-
पुलिस अधीक्षक फतेहपुर-
945940258
क्षेत्राधिकारी सागा- 9459401287
सागा स्क्वैर - 9459403345

समाधान दिवस
परदेस भेज के पहले व तुलना
को जमाता की निगरानी/समय
निगरानी के दिने समाधान
का इलाज किज नत
इस मामले पर सजब मिला
पुलिस सतब मेधुर रहे है
कर के सम्बन्धों का
है। कृपया
अपनी तमना





प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में चालाये जा रहे अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी खागा के कुशल निर्देशन व पर्यवेक्षण में दिनांक 19.9.21 को खखरेरु पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पौली नहर पुलिया वहद ग्राम पौली थाना खखरेरु फतेहपुर के पास से 02 नफर अभियुक्त 1- गौहर पुत्र जुबैर अहमद, 2- शमीम अहमद पुत्र नइमुद्दीन नि०गण पौली थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर को 1 कि०ग्रा० 200 ग्राम नाजायज गांजा ,एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद चापड़ के साथ गिरफ्तार किया गया । जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 227/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम गौहर पुत्र जुबैर अहमद नि० ग्राम पौली थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर, मु०अ०सं० 228/21 धारा 8/20 स्वापक औषधि व मनः प्रभावी पदार्थ अधि० 1985 बनाम शमीम अहमद पुत्र नइमुद्दीन नि० पौली थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर, मु०अ०सं० 229/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शमीम अहमद पुत्र नइमुद्दीन नि० पौली थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर पंजीकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि दोनो अभियुक्त गण थाना स्थानीय के मु०अ०सं० 219/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० के वांछित अभियुक्त है तथा उपरोक्त मुकदमा में प्रयुक्त किये गये चापड़ को अभियुक्त शमीम अहमद की निशादेही पर पौली नहर के पास से ही बरामद किया गया। अभियुक्त गणो को माननीय न्यायालय भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी - 1 कि०ग्रा० 200 ग्राम नाजायज गांजा ,एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद

जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद चापड़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ०नि० शशिकान्त सरोज

2- का० हरिनयन

3- का० भूपेन्द्र कुमार, 4- का० कमलकान्त